राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था

RAJASTHAN STATE SEED & ORGANIC PRODUCATION CERTIFICATION AGENCY, JAIPUR

Regd. & Head Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan Janpath, Jaipur-302005

Tel.:No. 0141-2227456 (Fax) : 2227315/Email : dir_rssopca@redifmail.com

(ISO 9001 : 2015 Certified)

क्रमांकः एफ. 2(108) बीप्रस/संस्थापन/2018 **दिनांक :15 जून, 2018**

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते है। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या	अनारक्षित				आरक्षित पदों की संख्या													
							अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				पिछड़ावर्ग				अति पिछडा वर्ग
			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			सा.	महिला			
				सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.		सा.	वि.	परि.	
1.	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	45	14	3	2	1	6	1	1	–	5	2	–	–	7	2	1	–	–

(संक्षिप्ताक्षर : सा. :–सामान्य, वि. :– विधवा, परि.:– परित्यक्ता)

टिप्पणीः रिक्तियों के सकल योग 45 में विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) की 2, भूतपूर्व सैनिक की 5 तथा उत्कृष्ठ खिलाडियों की 1 रिक्तियां सम्मिलित है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

विधि सम्मत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से M.Sc. Botany/M.Sc Agri. Botany/M.Sc Plant Breeding & Genetics/M.Sc. Plant Physiology/M.Sc. Seed Technology/ M.Sc. Agronomy में डिग्री।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि वे ही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए है। दस्तावेज सत्यापन के समय पर अंतिम वर्ष की मार्कशीट अथवा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रत्याशी इस पद के लिए चयन के योग्य नहीं माना जायेगा।

नोटः–

1. उपरोक्त सारणी में राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये दर्शाए गए सभी आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्ही भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत किया जाएगा।
2. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अनारक्षित पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
3. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।
4. विभाग द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला, विशेष योग्यजन (निःशक्तजन), भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रुप से होगा परन्तु जिस प्रवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उसे सम्बन्धित प्रवर्ग में, जिसके वे अभ्यर्थी है, उसे उस ही प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा। इसी अनुसार उपरोक्त सारणी में पद दर्शाये गये है।
5. किसी वर्ग (अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।
6. पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन–क्रीमी लेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
8. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिए
   a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 38 के उप नियम 2(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल निःशक्तजन श्रेणी में only LD श्रेणी को ही 1.5 प्रतिशत उक्त पद हेतु आरक्षण का लाभ देय है, जिसमें निम्न निःशक्तता (Disability) वाले अभ्यर्थी को ही इस पद के लिये योग्य माना जायेगा :–
   1-LD/CP (Locomotor Disability and Cerebral Palsy) :- OA (One arm)/OL (One leg)/OAL (One arm and leg)/BL (Both legs)
   b. विशेष योग्यजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रुप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
   c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम 38(4) के अनुरुप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण के पद भरा नहीं जा सकता हो वहां ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

9. उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 5(31)डीओपी/ए–II/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाडी'' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने :–
   1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

      या

   2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

      या

   3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसियेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

      या

   4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसियेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

10. विज्ञापन जारी होने के उपरांत विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

<u>**आयु**</u> :–

आवेदक 1 जनवरी, 2019 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में –

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यार्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
4. पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राजस्थान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /निगमों के कारोबार में अधिष्ठायी (Substantive) रुप से कार्यरत व्यक्तियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में अधिष्ठायी (Substantive) तौर पर नियुक्त कार्मिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
6. भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यताधारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
7. विधवाओं और विछिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी। स्पष्टीकरण : विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु

का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विछिन्न विवाह की डिग्री/न्यायिक सबूत प्रस्तुत करना होगा।

8. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारियों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छुट देय होगी :–

   1. अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,
   2. पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष
   3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष

   उपरोक्त आयु संबंधी वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cummulative" है अर्थात अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित किसी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों में विहित छूट जोड़कर छूट का लाभ देय नहीं होगा।

राष्ट्रीयता :–

1. (क) भारत का नागरिक हो, या
   (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
   (ग) भूटान का प्रजानन हो, या
   (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रुप से बसने के विचार से आया था, या
   (ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने जो भारत में स्थाई रुप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

   परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ड़) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र दे दिया हो।

   ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामलें में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

2. **अन्य देशों से भारत में स्थाई रुप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्ते :–** इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रुप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आये हों, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

विवाह पंजीयन :– राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

अन्य योग्यताऐं :–

1. **स्वास्थ्य :–** सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रुप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
2. **चरित्र :–** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, विद्यालय या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन–पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

<u>नियुक्ति के लिये अयोग्यता</u> :–

1. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो। **किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।**
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है। **किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।**
3. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा। स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई हो।
5. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो।

   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरिर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :–

   परन्तु यह और कि जहां किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

<u>अनुचित साधनों की रोकथाम</u> :–

परीक्षार्थी को विभाग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर (Invigilator) अथवा विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध विभाग/केन्द्राधीक्षक, जो उचित

समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा ऐसे परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

वेतनमान :–

राज्य सरकार के नियमानुसार सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा काल में रखा जावेगा जिसके दौरान मासिक पारिश्रमिक देय होगा। उन्हे कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषपूर्वक पूर्ण करने पर सातवें वेतनमान के अनुसार Pay Matrix Level-12 में वेतन निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा काल के दौरान पद छोड कर नहीं जाने का नियमानुसार बॉड भरा जाएगा।

परीक्षा योजना :

- संस्था द्वारा लिखित परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जावेगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी।
- प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective-type) होगा।
- लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम वेबसाईट http://www.rcaudaipur.net पर तथा इसका लिंक http://agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca अथवा http://www.mpuat.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट :

प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई OMR Sheets में अंकित किये जाने होंगे।

परीक्षा का माह एवं स्थान :

1. लिखित परीक्षा 5 अगस्त, 2018 को आयोजित की जायेगी लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण परीक्षा आयोजन के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है जिसकी सूचना आवेदकों को यथासमय उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2. लिखित परीक्षा उदयपुर में आयोजित की जाएगी।

परीक्षा शुल्क :

1. सामान्य आवेदक हेतु (जिसमें पि.व./वि.पि.व. के आवेदक व अधोवर्णित श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आवेदक सम्मिलत है) – रुपये 1600/–
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है – रुपये 800/–

नोटः–

1. **आवेदन किसी कम्प्यूटर (Computer) से इंटरनेट की उपलब्धता होने पर किया जा सकता है।**
2. **राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना**

जायेगा। अतः ऐसे आवेदको को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3. **फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।**
4. **फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है। अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।**

प्रवेश पत्र :— वेबसाईट http://www.rcaudaipur.net से डाउनलोड किया सकेगा।

आवेदन करने की अंतिम तिथि :— **15.07.2018 रात्रि 12:00 बजे तक।**

आवेदन कैसे करें :— पूर्ण विधि वेबसाईट http://www.rcaudaipur.net पर उपलब्ध है।

विशेष :—

- विभाग द्वारा परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अन्य सामग्री विक्रय किए जाने हेतु किसी भी प्रकाशक को अधिकृत नहीं किया गया है यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकाशक द्वारा मुद्रित पाठ्यक्रम अथवा अन्य सामग्री खरीदता है तो यह उसकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी।
- आवेदक को आवेदन, परीक्षा प्रवेश संबंधी एवं अन्य सूचनाऐं वेबसाईट http://www.rcaudaipur.net या SMS या Email के माध्यम से सूचित की जायेगी।
- यदि कोई आवेदक आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर **सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी** के पद के लिए उल्लेखित अर्हताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इस परीक्षा के लिए अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त योग्य होगा तथा ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क, जिसमें आवेदन शुल्क सम्मिलित है, प्रतिदाय (Refund) नहीं किया जायेगा।
- किसी तरह की कठिनाई / पूछताछ हेतु आवेदक हेल्पलाईन नम्बर 0294-2417697 पर सम्पर्क करें।
- समस्त जानकारियां तथा सूचनाएं वेबसाईट http://www.rcaudaipur.net पर उपलब्ध रहेगी।

निदेशक
राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन
प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर

यह शपथ पत्र प्रार्थी द्वारा आनलाईन प्रार्थना पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
जाति ....आयु .... पता..
....
द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :

- मैं यह आवेदन सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पद हेतु जिसका विज्ञापन राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विज्ञापन संख्या .... दिनांक .... द्वारा जारी किया गया है, कर रहा/रही हूँ।
- मैं इस पद के आवेदन से संबंधित सभी नियमों/अधिसूचना आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ चुका हूँ व मैं इनसे स्वंय को बाध्य मानता/मानती हूँ।
- मैं इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पद के सम्बन्ध में सभी शर्तें यथा आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व जाति पात्रता में छूट आदि को पूरा करता/करती हूँ।
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा भरी गयी जानकारी मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मेरी उक्त सूचनाऐं यदि भविष्य में मेरे चयन के पूर्व/दौरान अथवा बाद में झूठी साबित होती हैं अथवा उक्त सम्बन्ध में मैं उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना कर पाऊं तो उक्त पद के लिए अयोग्य होने हेतु उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मैं ऊपर वर्णित शपथग्रहिता यह घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं तथा मैंने कोई महत्वपूर्ण व आवश्यक तथ्य नहीं छुपाऐं है।

इस दिनांक .... माह............. वर्ष .... को सत्यापित

(हस्ताक्षर शपथग्रहिता)